सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **130/2015** दायर दिनाँक **28.07.2015**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. रामेश्वरलाल पुत्र नानुराम, उम्र—42साल, जाति—जाट, निवासी—ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. मोतीलाल पुत्र नानुराम, 2. गोवर्धन पुत्र नानुराम, 3. वली पुत्र पुत्र नानुराम, 4. नानुराम पुत्र भूराराम, समस्त,जाति—जाट, निवी—ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. गीता पुत्र केशर, 6. गुलाबदेवी पत्नी परमेश्वर, 7. मोहनीदेवी पत्नी हणमान, 8. भँवरलाल पुत्र रामदीन, 9. मिठुलाल पुत्र रामदीन, 10. भगवती पत्नी महेश, 11. सोनू पुत्र महेश, 12. विजय पुत्र महेश, 13. परमेश्वरलाल पुत्र भोलूराम, 14. सांवरमल पुत्र भोलूराम, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा— **88 R.T.Act,** सपठित धारा **136 R.L.Act.**

उपस्थित :—

1. श्री हकीम खाँ, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 04, 13 व 14 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–130/2015
दायर दिनाँक 28.07.2015, निर्णय दिनाँक 06.02.2018
रामेश्वरलाल बनाम् मोतीलाल, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 06.02.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद भदलिया में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 161 रकबा 40.10 बीघा अवस्थित है। नकल पेश है।

ग्राम भदलिया का वादी निवासी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 वादी के सगे भाई हैं। प्रतिवादी संख्या 04 वादी के पिता है। प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 14 खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 40.10 बीघा वाकै शरहद भदलिया की खातेदारी में सहखातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 15 लैण्ड होल्डर होने से दावे में पक्षकार है।

वादग्रस्त खेत की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहवन से परमेश्वरलाल दर्ज हो गया है जबकि वादी का नाम वादी के अन्य दस्तावेजात् में रामेश्वरलाल दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात् में वादी के नाम में भिन्नता रहने से वादी को काफी परेशानियाँ रहती है। वादी के अन्य दस्तावेजात् में दर्ज वादी का नाम के मुताबिक ही, वादी अपने नाम को दुरस्त करवाना चाहता है व इस सम्बन्ध में वादी ने अवगत कराया है कि प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति भी नहीं है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद भदलिया में खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 40.10 बीघा में वादी का नाम परमेश्वरलाल के स्थान पर रामेश्वरलाल दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 05 ता 12 व 15 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया। प्रतिवादीण संख्या 02, 04, 13 व 14 की ओर से वाद में कोई जवाब पेश नहीं होने से, जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम भदलिया सम्वत् 2065–2068 खेवट संख्या 107/97 की प्रमाणित प्रतिलिपि, परिवार राशन–कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रहचान–पत्र संख्या MTW/1385335 निर्वाचक का नाम रामेश्वरलाल की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकील वादी, दावा मुताबिक, दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी द्वारा पेश, वाद वर्णित उपर्युक्त दस्तावेजात् में वादी का नाम "रामेश्वर लाल पुत्र नानू राम " दर्ज है, जबकि वाद वर्णित भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–130/2015
दायर दिनाँक 28.07.2015, निर्णय दिनाँक 06.02.2018
रामेश्वरलाल बनाम् मोतीलाल, वगैरा।

के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "परमेश्वर लाल पुत्र नानू राम" दर्ज है।

अतः, वादी इस्तदुआ मुताबिक, वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "परमेश्वरलाल" के स्थान पर "रामेश्वरलाल" दुरस्त किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद भदलिया पटवार क्षेत्र लादड़िया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 161 रकबा 40.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम "परमेश्वर लाल पुत्र नानू राम" के स्थान पर "रामेश्वर लाल पुत्र नानूराम" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमे इब्तदाइ
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 130/2015 दायर दिनाँक 28.07.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र नानुराम, उम्र–42साल, जाति–जाट, निवासी–ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोतीलाल पुत्र नानुराम, 2. गोवर्धन पुत्र नानुराम, 3. वली पुत्र पुत्र नानुराम, 4. नानुराम पुत्र भूराराम, समस्त,जाति–जाट, निवी–ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. गीता पुत्र केशर, 6. गुलाबदेवी पत्नी परमेश्वर, 7. मोहनीदेवी पत्नी हणमान, 8. भँवरलाल पुत्र रामदीन, 9. मिठुलाल पुत्र रामदीन, 10. भगवती पत्नी महेश, 11. सोनू पुत्र महेश, 12. विजय पुत्र महेश, 13. परमेश्वरलाल पुत्र भोलूराम, 14. सांवरमल पुत्र भोलूराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–ढेर की ढाणी, भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act, सपठित धारा 136 R.L.Act.

दिनाँक 06.02.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खाँ, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 04, 13 व 14 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद भदलिया पटवार क्षेत्र लादड़िया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 161 रकबा 40.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम "परमेश्वर लाल

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

पुत्र नानू राम" के स्थान पर "रामेश्वर लाल पुत्र नानूराम" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................
....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner